



कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार) रायपुर (छ.ग.)
फ़ोन नं. :- 2535780, 90, फ़ैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क. - / बा. वि. / न. पा. नि. / 2020

रायपुर, दिनांक / 06 / 2020

--:: संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना ::--

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निविदा ऑफर आमंत्रण सूचना //

दिनांक 04.06.2020 को पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि एवं नई दुनिया समाचार पत्र में निविदा क्रमांक-12/बा.वि./न.नि./2020 रायपुर दिनांक 03.06.2020 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों में निर्मित 176 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु आफसेट दर से अधिक राशि की निविदायें बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आमंत्रण हेतु प्रकाशित की गई है।

उपरोक्त निविदा में दुकानों हेतु निविदा प्राप्त होने की तिथि 23.06.2020 तथा प्राप्त निविदा को खोले जाने की तिथि 25.06.2020 में निर्धारित की जाती है। शेष नियम एवं शर्त यथावत् रहेंगे।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

पृ. क्र. - 28 / बा. वि. / न. पा. नि. / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 15 / 06 / 2020

1. माननीय महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/भारसाधक सदस्य नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जोन कमिश्नर 01 से 08 नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. सहायक राजस्व अधिकारी जोन क्रमांक-01 से 08 नगर पालिक निगम को सूचनार्थ।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर



कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार) रायपुर (छ.ग.)

फ़ोन नं. :- 2535780, 90, फ़ैक्स :- 0771-2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क.-।2...../बा.वि./न.पा.नि./2020

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

—:: निविदा सूचना ::—

// विभिन्न क्षेत्रों के 176 दुकानों के निविदा ऑफर आमंत्रण हेतु सूचना //

निविदा क्रमांक-1635/राजस्व/न.नि./2020 रायपुर दिनांक 13.03.2020 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों में रिक्त 176 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु आफसेट दर से अधिक राशि की निविदायें बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आमंत्रण हेतु प्रकाशित की गई निविदा को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।

पुनः दुकानों हेतु निविदा प्राप्त होने की तिथि 17.06.2020 तथा प्राप्त निविदा को खोले जाने की तिथि 19.06.2020 निर्धारित की जाती है। शेष नियम तथा शर्त यथावत् रहेगी।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

पृ. क. /बा.वि./न.पा.नि./2020

रायपुर, दिनांक /06/2020

प्रतिलिपि :-

1. माननीय महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/भार साधक सदस्य को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जोन कमिश्नर जोन क.-1,2,3,4,5,6,7,8 नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्रमांक-1,2,3,4,5,6,7,8 को सूचनार्थ।

उपायुक्त (बाजार)

नगर पालिक निगम, रायपुर



कार्यालय नगर पालिक निगम, (राजस्व) रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. :- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क. - 1637/ राजस्व/न.पा.नि./ 2020

रायपुर, दिनांक 16/03/2020

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निविदा ऑफर आमंत्रण सूचना //

नगर निगम रायपुर द्वारा डुमरतराई की 03 दुकानें, जवाहर बाजार की-32, जवाहर बाजार हॉल-16, मोहबा बाजार की-14, नेताजी सुभाष स्टेडियम की-17, डंगनिया की-02, अग्रसेन मंगलम् के बाजु की-22, कंकली अस्पताल व्यवसायिक परिसर की-06, कालीबाड़ी काम्पलेक्स की-02 एवं गांधी मैदान कांजी हाऊस की-62 कुल-176 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु आबंटन किये जाने तथा स्वीकृति प्रीमियम राशि का वार्षिक 02 प्रतिशत किराये पर आबंटन हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि का डी.डी. जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं द्वितीय लिफाफा में, निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक 07.04.2020 को शाम 5:30 बजे तक राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 09.04.2020 को दोपहर 12:00 बजे राजस्व विभाग नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी।

क.	दुकान की क्रमांक	आरक्षण में श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	आफसेट दर	प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत अमानती राशि
1	2	3	4	5	6
डुमरतराई (तृतीय निविदा)					
1	भूतल-22	अनुसूचित जाति	968.40	4159239	1039810
2	भूतल-31	अ.पि.वर्ग	968.40	4159239	1039810
3	भूतल-156	अनारक्षित	968.40	4159239	1039810
जवाहर बाजार (द्वितीय निविदा)					
4	प्रथम तल-21	अ.पि. वर्ग	235.64	1711168	427792
5	प्रथम तल-36	अ.ज.जा.	109.75	796981	199245
6	प्रथम तल-45	अ.जा.	114.59	832128	208032
7	प्रथम तल-50	अ.पि. वर्ग	235.64	1711168	427792
8	प्रथम तल-53	अनारक्षित	235.64	1711168	427792
9	प्रथम तल-60	अ.ज.जा.	135.57	984481	246120
10	प्रथम तल-25	अ.ज.जा.	109.75	796981	199245
11	प्रथम तल-29	अ.ज.जा.	109.75	796981	199245
12	प्रथम तल-37	अ.जा.	109.75	796981	199245
13	प्रथम तल-55	अ.ज.जा.	109.75	796981	199245
14	प्रथम तल-13	अ.ज.जा.	114.59	832128	208032
15	प्रथम तल-14	स्वा. स. सै.	114.59	832128	208032
16	प्रथम तल-15	विकलांग	114.59	832128	208032
17	प्रथम तल-16	वि. परित्यक्ता	114.59	832128	208032
18	प्रथम तल-44	तृतीय लिंग	109.75	796981	199245
19	प्रथम तल-46	वि. परित्यक्ता	114.59	832128	208032

20	प्रथम तल-72	अनारक्षित	114.59	832128	208032
21	प्रथम तल-58	अ.पि. वर्ग	225.96	1640874	410219
22	प्रथम तल-33	शि.बेरो.	225.96	1640874	410219
23	प्रथम तल-06	अ.पि. वर्ग	235.64	1711168	427792
24	प्रथम तल-07	अ.ज.जा.	235.64	1711168	427792
25	प्रथम तल-08	अनारक्षित	235.64	1711168	427792
26	प्रथम तल-09	अनारक्षित	235.64	1711168	427792
27	प्रथम तल-10	अनारक्षित	235.64	1711168	427792
28	प्रथम तल-11	महिला	235.64	1711168	427792
29	प्रथम तल-12	स्वा. स. सौ.	235.64	1711168	427792
30	प्रथम तल-47	शि.बेरो.	235.64	1711168	427792
31	प्रथम तल-64	अ.पि. वर्ग	235.64	1711168	427792
32	प्रथम तल-65	तृतीय लिंग	235.64	1711168	427792
33	प्रथम तल-66	अ.ज.जा.	235.64	1711168	427792
34	प्रथम तल-68	अ.ज.जा.	235.64	1711168	427792
35	प्रथम तल-70	अ.पि. वर्ग	235.64	1711168	427792
जवाहर बाजार हॉल (द्वितीय निविदा)					
36	द्वितीय तल हॉल-1	अनारक्षित	2565.50	13084974	3271244
37	द्वितीय तल हॉल-2	अनारक्षित	2617.37	13349529	3337382
38	द्वितीय तल हॉल-3	अनारक्षित	2673.10	13633772	3408443
39	द्वितीय तल हॉल-4	महिला	1431.08	7299023	1824756
40	द्वितीय तल हॉल-5	अन्य पिछड़ा वर्ग	1431.08	7299023	1824756
41	द्वितीय तल हॉल-6	अनारक्षित	2673.10	13633772	3408443
42	द्वितीय तल हॉल-7	अनारक्षित	2617.37	13349529	3337382
43	द्वितीय तल हॉल-8	शिक्षित बेरोजगार	2565.50	13084974	3271244
44	तृतीय तल हॉल-1	अनारक्षित	2565.50	11234394	2808599
45	तृतीय तल हॉल-2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2617.37	11462161	2865540
46	तृतीय तल हॉल-3	अनुसूचित जाति	2673.10	11707463	2926866
47	तृतीय तल हॉल-4	अनुसूचित जनजाति	1431.08	6267629	1566907
48	तृतीय तल हॉल-5	अन्य पिछड़ा वर्ग	1431.08	6267629	1566907
49	तृतीय तल हॉल-6	विधवा/परित्यक्ता	2673.10	11707463	2926866
50	तृतीय तल हॉल-7	अनुसूचित जाति	2617.37	11462161	2865540
51	तृतीय तल हॉल-8	अनारक्षित	2565.50	11234394	2808599
मोहबा बाजार (आठवीं निविदा)					
52	प्रथम तल-01	अनारक्षित	195	881469	220367
53	प्रथम तल-02	अनारक्षित	195	881469	220367
54	प्रथम तल-03	अनारक्षित	195	881469	220367
55	प्रथम तल-04	अनुसूचित जनजाति	195	881469	220367
56	प्रथम तल-05	शिक्षित बेरोजगार	195	881469	220367
57	प्रथम तल-06	अनारक्षित	195	881469	220367
58	प्रथम तल-07	महिला	195	881469	220367

59	प्रथम तल-08	अनुसूचित जाति	195	881469	220367
60	प्रथम तल-09	अ.पि.वर्ग	195	881469	220367
61	प्रथम तल-10	अनारक्षित	195	881469	220367
62	प्रथम तल-11	अ.पि.वर्ग	195	881469	220367
63	प्रथम तल-12	अनुसूचित जाति	195	881469	220367
64	प्रथम तल-13	अनारक्षित	195	881469	220367
65	प्रथम तल-14	अनारक्षित	195	881469	220367
नेताजी सुभाष स्टेडियम (पांचवीं निविदा)					
66	भूतल-02	अनारक्षित	341	3306000	826500
67	भूतल-03	अनारक्षित	341	3306000	826500
68	भूतल-04	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	3306000	826500
69	भूतल-05	अनारक्षित	341	3306000	826500
70	भूतल-06	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
71	भूतल-07	शिक्षित बेरोजगार	341	2017000	504250
72	भूतल-09	अनुसूचित जनजाति	341	2017000	504250
73	भूतल-10	अनारक्षित	341	2017000	504250
74	भूतल-11	अनारक्षित	341	2017000	504250
75	भूतल-12	अनारक्षित	341	2017000	504250
76	भूतल-14	अनारक्षित	341	2017000	504250
77	भूतल-15	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	2017000	504250
78	भूतल-17	विध./परि. महिला	341	2017000	504250
79	भूतल-18	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
80	भूतल-19	अनारक्षित	341	2017000	504250
81	भूतल-20	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
82	भूतल-21	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	2017000	504250
डंगनिया (चतुर्थ निविदा)					
83	भूतल-5	अनुसूचित जाति	111	451825	112956
84	भूतल-8	अनारक्षित	111	451825	112956
अग्रसेन मंगलम् के बाजु (आठवीं निविदा)					
85	मैजेनाईन अग्रभाग प्रथम तल-14	अनारक्षित	236.72	1589694	397424
86	मैजेनाईन अग्रभाग प्रथम तल -15	अ.जा.	236.72	1589694	397424
87	पृष्ठ भाग प्रथम तल-4	अ.जा.	177.54	745313	186328
88	पृष्ठ भाग प्रथम तल-5	अ.ज.जा.	177.54	745313	186328
89	पृष्ठ भाग प्रथम तल-8	अ.पि.वर्ग	177.54	745313	186328
90	पृष्ठ भाग प्रथम तल-11	महिला	177.54	745313	186328
91	पृष्ठ भाग प्रथम तल-15	अनारक्षित	177.54	745313	186328
92	पृष्ठ भाग प्रथम तल-16	स्व. सं.से.	177.54	745313	186328
93	पृष्ठ भाग प्रथम तल-17	अनारक्षित	254.47	1068266	267067
94	पृष्ठ भाग प्रथम तल-26	अ.पि.वर्ग	129.12	542046	135512
95	पृष्ठ भाग प्रथम तल-28	अ.जा.	129.12	542046	135512
96	पृष्ठ भाग प्रथम तल-29	अनारक्षित	129.12	542046	135512
97	पृष्ठ भाग द्वि. तल-3	शिक्षित बेरोजगार	177.54	601506	150377
98	पृष्ठ भाग द्वि. तल-7	अ.जा.	177.54	601506	150377
99	पृष्ठ भाग द्वि. तल-9	अ.ज.जा.	177.54	601506	150377
100	पृष्ठ भाग द्वि. तल-11	अ.पि.वर्ग	177.54	601506	150377
101	पृष्ठ भाग द्वि. तल-15	अ.जा.	177.54	601506	150377

102	पृष्ठ भाग द्वि. तल-19	अ.पि.वर्ग	129.12	437459	109365
103	पृष्ठ भाग द्वि. तल-23	अ.ज.जा.	129.12	437459	109365
104	पृष्ठ भाग द्वि. तल-25	शिक्षित बेरोजगार	129.12	437459	109365
105	पृष्ठ भाग द्वि. तल-26	अनारक्षित	129.12	437459	109365
106	पृष्ठ भाग तृतीय तल हॉल	अनारक्षित	5767.3	12411230	3102808
कंकाली अस्पताल व्यवसायिक परिसर (आठवीं निविदा)					
107	भूतल-10	अ.जा.	96	470688	117672
108	भूतल-11	महिला वि. /परि.	262	990406	247602
109	प्रथम तल-10	अ.ज.	254.15	948488	237122
110	प्रथम तल-11	अ.ज.	338.93	1264887	316222
111	प्रथम तल-13	अ.पि.वर्ग	96.84	361407	90352
112	प्रथम तल-14	अ.पि.वर्ग	338.93	1264887	316222
कालीबाड़ी काम्पलेक्स (पांचवीं निविदा)					
113	प्रथम तल-5	अ.जा.	302.14	977182	244296
114	प्रथम तल-6	अ.पि.वर्ग	391.12	1264961	316240
गांधी मैदान कांजी हाऊस (पांचवीं निविदा)					
115	प्रथम तल-1	अनारक्षित	170.43	413719	103430
116	प्रथम तल-2	अनारक्षित	162.79	395173	98793
117	प्रथम तल-3	अनारक्षित	196.08	477732	119433
118	प्रथम तल-4	महिला	197.23	478776	119694
119	प्रथम तल-5	शिक्षित बेरोजगार	261.51	634962	158741
120	प्रथम तल-6	विकलांग	243.49	591072	147768
121	प्रथम तल-7	अ.पि.वर्ग	230.15	558690	139673
122	प्रथम तल-8	अ.ज.जा.	215.84	523952	130988
123	मैजेनाईन -1	अनारक्षित	199.27	725582	181396
124	मैजेनाईन -2	अनारक्षित	190.12	692265	173066
125	मैजेनाईन -3	अनारक्षित	187.86	684036	171009
126	मैजेनाईन -4	अनारक्षित	189.16	688770	172193
127	मैजेनाईन -5	अनारक्षित	177.97	648025	162006
128	मैजेनाईन -6	विध./परित्यक्ता	201.42	733411	183353
129	मैजेनाईन -7	महिला	184.53	671911	167978
130	मैजेनाईन -8	अ.पि.वर्ग	167.77	610885	152721
131	मैजेनाईन -9	अ.जा.	150.96	549676	137419
132	मैजेनाईन -10	अ.जा.	138.05	502668	125667
133	द्वितीय तल-1	अनारक्षित	199.27	483728	120932
134	द्वितीय तल-2	अनारक्षित	190.12	461517	115379
135	द्वितीय तल-3	अनारक्षित	187.86	456031	114008
136	द्वितीय तल-4	महिला	189.16	459186	114797
137	द्वितीय तल-5	वि./परित्यक्ता	177.97	432023	108006
138	द्वितीय तल-6	अ.पि.वर्ग	201.42	488948	122237
139	द्वितीय तल-7	अ.पि.वर्ग	184.53	447947	111987
140	द्वितीय तल-8	अ.जा.	167.74	407189	101797
141	द्वितीय तल-9	अ.जा.	150.96	366456	91614
142	द्वितीय तल-10	अ.जा.	138.05	335117	83779
143	तृतीय तल -1	अनारक्षित	170.43	353813	88453
144	तृतीय तल -2	अनारक्षित	162.79	337953	84488
145	तृतीय तल -3	अनारक्षित	161.93	336167	84042

146	तृतीय तल -4	अनारक्षित	162.79	337953	84488
147	तृतीय तल -5	अनारक्षित	163.55	339530	84883
148	तृतीय तल -6	अनारक्षित	472.57	981056	245264
149	तृतीय तल -7	महिला	193.35	401395	100349
150	तृतीय तल -8	महिला	195.93	406751	101688
151	तृतीय तल -9	शिक्षित बेरोजगार	196.80	408557	102139
152	तृतीय तल -10	अ.पि.वर्ग	197.23	409450	102363
153	तृतीय तल -11	भूतपूर्व सैनिक	261.57	543020	135755
154	तृतीय तल -12	स्व. सं.से.	243.49	505486	126372
155	तृतीय तल -13	अ.जा.	230.15	477792	119448
156	तृतीय तल -14	अ.जा.	215.84	448084	112021
157	चतुर्थ तल -1	अनारक्षित	78.65	163278	40820
158	चतुर्थ तल -2	अनारक्षित	75.64	157029	39257
159	चतुर्थ तल -3	अनारक्षित	71.01	147417	36854
160	चतुर्थ तल -4	अनारक्षित	68.54	142290	35573
161	चतुर्थ तल -5	अनारक्षित	98.85	122173	30543
162	चतुर्थ तल -6	अनारक्षित	117.71	244366	61092
163	चतुर्थ तल -7	अनारक्षित	117.71	244366	61092
164	चतुर्थ तल -8	अनारक्षित	117.71	244366	61092
165	चतुर्थ तल -9	अनारक्षित	106.20	220472	55118
166	चतुर्थ तल -10	अनारक्षित	97.05	201476	50369
167	चतुर्थ तल -11	महिला	97.05	201476	50369
168	चतुर्थ तल -12	महिला	97.05	201476	50369
169	चतुर्थ तल -13	शिक्षित बेरोजगार	97.05	201476	50369
170	चतुर्थ तल -14	अ.पि.वर्ग	100.06	207725	51931
171	चतुर्थ तल -15	अ.पि.वर्ग	107.92	224042	56011
172	चतुर्थ तल -16	अ.पि.वर्ग	113.62	235876	58969
173	चतुर्थ तल -17	अ.पि.वर्ग	92.21	191429	47857
174	चतुर्थ तल -18	अ.जा.	113.62	235876	58969
175	चतुर्थ तल -19	अ.जा.	78.65	163278	40820
176	चतुर्थ तल -20	अ.ज.जा.	101.89	211524	52881

विशेष :- आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, वेबसाइट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।

1. प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
2. प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा लिफाफा के ऊपर प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर का पता अंकित करना होगा, एवं प्रेषक का भी नाम पता अंकित करना होगा। दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख लिफाफा के ऊपर करना होगा। लिफाफा के ऊपर दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख नहीं होने पर निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
3. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
4. निविदा की समस्त शर्तें एवं नियम कार्यालयीन अवधि में राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय, संबंधित जोन कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड WWW.nagarnigamraipur.nic.in से देखी जा सकती है।

(Signature)
उपयुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम, रायपुर



कार्यालय नगर पालिक निगम, (राजस्व) रायपुर (छ.ग.)


फोन नं. :- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें //


1. नगर निगम रायपुर द्वारा डुमरतराई की 03 दुकानें, जवाहर बाजार की-32, जवाहर बाजार हॉल-16, मोहबा बाजार की-14, नेताजी सुभाष स्टेडियम की-17, डंगनिया की-02, अग्रसेन मंगलम् के बाजु की-22, कंकली अस्पताल व्यवसायिक परिसर की-06, कालीवाड़ी काम्पलेक्स की-02 एवं गांधी मैदान कांजी हाऊस की-62 कुल-176 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु आबंटन किये जाने को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये की राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु लीज अविध बढ़ायी जावेगी, तथा स्वीकृति प्रीमियम राशि का वार्षिक 02 प्रतिशत किराये पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का प्रस्ताव मुहरबंद निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
2. प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
4. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगी।
5. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
6. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जायेगी।
7. दुकान आबंटन अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदादाता को दुकान आबंटन की सूचना दी जावेगी।
8. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :-
 - (अ) भारतीय नागरिक हों
 - (ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।
 - (द) नाबालिग न हो।

9. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।
10. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।
11. आबंटित दुकान की छत पर पट्टाधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत कर ली गयी है, निविदा/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि जब्त तथा इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
14. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।
15. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, मादक पदार्थों, ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधि अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।
16. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।
17. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित करों/फीस का भुगतान स्वयं करना होगा। तथा नगरीय निकाय में समय-समय पर प्रचलित संपत्तिकर, समेकित कर एवं अन्य सेवा प्रभारों का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।
18. आबंटिती को दुकान का मासिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत वार्षिक देय होगा। तथा प्रति तीन वर्ष में किराये में 05 प्रतिशत चक्रवृद्धि कम में की वृद्धि की जावेगी एवं निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि से प्रभावशील होगा।





19. दुकान के लीज डीड निष्पादित होने के 02 वर्ष पश्चात् आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा जिसके लिए क्रेता/विक्रेता का संयुक्त आवेदन प्रकाशन शुल्क के साथ जमा करना होगा। तत्पश्चात् दावा-आपत्ति उपरांत गुणदोष के आधार पर वर्तमान मासिक किराया में 10% वृद्धि कर 30,000/-रु. नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। परन्तु आबंटिती की मृत्यु हो जाने की दशा में वारिसानों के पक्ष में नामांतरण हेतु नामांतरण शुल्क देय नहीं होगा।
20. आरक्षित वर्ग की दुकाने भविष्य में आरक्षित वर्ग को ही हस्तांतरित/स्थानांतरित की सकेगी।
21. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई-पुताई स्वतः कराना होगा।
22. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।
23. भागीदार फर्मों के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।
24. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।
25. दुकानों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
26. प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा लिफाफा के ऊपर प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर का पता अंकित करना होगा, एवं प्रेषक का भी नाम पता अंकित करना होगा। दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख लिफाफा के ऊपर करना होगा। लिफाफा के ऊपर दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख नहीं होने पर निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
27. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।
28. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तों को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा। आयुक्त नगर पालिक निगम का निर्णय अंतिम होगा।


 उपायुक्त (राजस्व)
 नगर पालिक निगम, रायपुर

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

निविदादाता का
फोटो (स्वयं द्वारा
प्रमाणित)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. स्थायी निवास/पत्र व्यवहार का :-
पता
5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :-
6. ई-मेल पता (E- mail ID) :-
7. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण
राशि (अंकों में) रूपये
- (शब्दों में) रूपये
- बैंक का नाम
- बैंक ड्रॉपट का नंबरदिनांक

8. निविदादाता द्वारा चयनित दुकान एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :-

दुकान नं.	दुकान का आरक्षण वर्ग	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	निविदादाता के हस्ताक्षर
		(अंकों में) रु. (शब्दों में) रु.	

—:: अभिवचन ::—

मैं में दुकानों का आबंटन में उपरोक्त दुकान निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर लेने के लिए सहमत हूं। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है। मैंने कंडिका (08) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :-

दिनांक :-

(निविदादाता का हस्ताक्षर)